आदेश

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश संख्या–40–3/2020–डीएम–1(ए), दिनांक 01.05.2020 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग के द्वारा शासनादेश संख्या–381/2020/सीएक्स–3, दिनांक 03.05.2020 के द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बंध में देश–व्यापी लॉकडाउन दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक प्रभावी रहनें हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिसके तहत जनपद लखनऊ का नगर क्षेत्र रेड जोन में है।

उक्त दिशा–निर्देशों के कम में जनपद लखनऊ में स्थापित समस्त निजी कार्यालयों को दिनांक 06.05.2020 से प्रातः 7.00 बजे से सांय 7.00 बजे के मध्य खुलने की अनुमति इस शर्त से दी जाती है कि सम्बंधित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष एवं समस्त कार्मिकों के द्वारा उपरोक्त शासनादेशो में दिये गये सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया एवं करवाया जायेगा।

सम्बंधित कार्यालय के कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा अपना कार्यालय खोलने के पूर्व संलग्न प्रारूप पर अपने कार्यालय/कम्पनी/फर्म के लेटर हेड पर स्व–घोषणापत्र भरकर श्री मनीष नाहर, अपर जिलाधिकारी (भू–अधिग्रहण–।।) को उनके कार्यालय (पुराना एलडीए परिसर, लालबाग) में अथवा उनके ई–मेलः **nmpladmla@gmail.com** पर भेजा जायेगा तथा कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्व–घोषणापत्र की एक प्रति सम्बंधित थाने के थानाध्यक्ष को भेजी जायेगी और दूसरी प्रति अपने कार्यालय के बाहर चस्पा की जायेगी।

यदि किसी निजी कार्यालय के किसी कर्मी के द्वारा दिशा–निर्देशों का उल्लघंन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति, कार्यालय अध्यक्ष एवं कम्पनी/फर्म के निदेशक/प्रोपराइटर की होगी एवं सम्बंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नकः यथोक्त।

(अभिषेक प्रकाश)
जिलाधिकारी,
लखनऊ

कार्यालयः जिलाधिकारी, लखनऊ

पत्रांक संख्या–382/050/2020 दिनांक 04/05/2020